एकता विकास संघर्ष

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल पावर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन
(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के
अन्तर्गत उत्तरांचल रजिस्ट्रार द्वारा क्रम
संख्या 277 पर पंजीकृत)
(राज्य विद्युत परिषद जूनियर इन्जीनियर्स संगठन
उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध)

ऐसोसिएशन का संविधान

29 सितम्बर, 2002

प्रकाशक
जी0एन0 कोठियाल
केन्द्रीय अध्यक्ष

एकता विकास संघर्ष

सत्यमेव जयते

शपथ

ऐसोसिएसन के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा निम्न शपथ ली जायेगीः–

मैं———————— जो कि उत्तरांचल पावर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन उत्तरांचल के ———————— पद पर निर्वाचित हुआ हूं अपने इष्ट को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि ऐसोसिएशन के संवैधानिक प्राविधानों का पालन करता हुआ, संगठन के सदस्यों के हित में अपनी पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करुंगा तथा पद पर रहते हुये मद्यपान नहीं करुंगा।

हस्ताक्षर

उत्तरांचल पावर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसासिएशन
उत्तरांचल का संविधान

शीर्षक–!: नाम, स्थान, उद्देश्य

धारा–1,: नाम–एसोसिएशन का नाम "उत्तरांचल पावर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन" होगा।

धारा–2 स्थान– ऐसोएिशन का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तरांचल राज्य होगा तथा मुख्यालय देहरादून में होगा।

धारा–3 उद्देश्यः–
उपधारा–1 सदस्यों की वास्तविक कठिनाईयों को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत करना।

उपधारा–2: तकनीकी विषयों पर विचार विमर्श एवं वर्ग के हितों की रक्षार्थ विचार विमर्श करने के लिये वर्ष में कम से कम एक बार मिलने का अवसर प्रदान करना।

उपधारा–3: सदस्यों की व्यवसायिक योग्यता, वैज्ञानिक एवं अभियात्रिक ज्ञान वर्धन के साधन उपलब्ध करना।

उपधारा–4: सदस्यों में एकता, सद्भावना एवं सहयोग की भावना जागृत करना।

उपधारा–5: सदस्यों में एवं समस्त कर्मचारियों में राष्ट्रीयता की भावना एवं स्वस्थ राष्ट्रीय श्रम आन्दोलनों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास

करना एवं शिवरों का आयोजन कर सदस्यों/कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

उपधारा–6: सदस्यों/परिवारजनों के लिये आर्थिक सहायता हेतु कोष का गठन करना।

उपधारा–7: उपयुक्त पत्र, पत्रिकाओं विज्ञाप्तियों एवं लेखों का प्रकाशन कर सदस्यों की समस्याओं एवं तकनीकी प्रतिभा को प्रस्तुत करना।

उपधारा–8: उत्तरांचल राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हेतु सदस्यों को प्रेरित करना तथा उनके सुझाओं से प्रबन्धन को अवगत कराना।
उपधारा–9: उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य किसी कार्यक्रम को प्रान्तीय कार्यकारिणी एवं केन्द्रीय कार्यकारणी समिति उपयुक्त समझे प्रयोग में लाना।

शीर्षक – 2 सदस्यता

संस्था में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे।

धारा–4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

(क) सरंक्षक सदस्यः प्राविधिक अथवा विषयक विज्ञ अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति संरक्षक सदस्य होंगे।

(ख) आजीवन सदस्यः आजीवन सदस्यता शुल्क मात्र 2500/– होगा जो एक मुश्त जमा होगा या तीन किस्तों में एक ही वर्ष में जमा होगा।

(ग) सामान्य सदस्यः– सामान्य सदस्यता शुल्क मात्र रु0 250/– वार्षिक होगा तथ समस्त स्थायी व अस्थायी जूनियर इन्जीनियर (सेवा विवृत्ति एंव

पदोन्नति सहित) सदस्य हो सकते हैं।

धारा–5: **सदस्यता की समाप्तिः–**

1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
2. सदस्य के पागल या दीवालिया हो जाने पर।
3. सदस्य द्वारा स्वयं त्याग पत्र देने पर।
4. सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
5. किसी न्यायालय द्वारा दोषी या दण्डित होने पर।
6. संस्था के विपरीत कार्य करने पर समिति की इसी निमित बुला गई बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्यों के द्वारा निष्कासन से।

शीर्षक–3 प्रबन्ध

धारा–6– संस्था का नाम

(क) प्रान्तीय कार्यकारणी

(ख) केन्द्रीय कार्यकारणी

(क) प्रान्तीय कार्यकारणीः–

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन एवं जलविद्युत निगम में प्रान्तीय स्तर क दो अलग–अलग कार्यकारणी होगी जो अपने–अपने निगमों में स्वतंत्र रुप र कार्य करेगी।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में प्रान्तीय कार्यकारणी की रुप–रेख

उपधाराः–1

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में निम्नलिखित प्रान्तीय कार्यकारणी व पदाधिकारी होंगे।

अध्यक्ष	–	1 पद
वरिष्ठ उपाध्यक्ष	–	1 पद
उपाध्यक्ष	–	1 पद
महासचिव	–	1 पद
उप महासचिव	–	2 पद
		(एक पद मनोनीत अध्यक्ष की अनुमति से)
संगठन सचिव	–	4 पद
प्रचार सचिव	–	1 पद
वित्त सचिव	–	1 पद
लेखानिरीक्षक	–	1 पद

सदस्य कार्यकारिणी–

उपधारा : 2

प्रान्तीय समिति के अतिरिक्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय शाखा वितरण व पारेशन की अलग से कार्यकारिणी होगी जिसमें निम्नलिखित पद होंगे–

1.	क्षेत्रीय अध्यक्ष	–	1 पद
2.	उपाध्यक्ष	–	1 पद
3.	क्षेत्रीय सचिव	–	1 पद
4.	क्षेत्रीय संगठन सचिव	–	1 पद
5.	क्षेत्रीय प्रचार सचिव	–	1 पद
6.	क्षेत्रीय वित्त सचिव	–	1 पद
7.	क्षेत्रीय लेखानिरीक्षक	–	1 पद

उपधारा : 3

प्रत्येक जिले में जिला कार्यकारणी का गठन होगा जिसमें निम्नलिखित पद होंगे।

1.	जिला अध्यक्ष	–	1 पद
2.	उपाध्यक्ष	–	1 पद
3.	जिला सचिव	–	1 पद
4.	जिला वित्त सचिव	–	1 पद
5.	जिला संगठन सचिव	–	1 पद
6.	जिला प्रचार सचिव	–	1 पद
7.	जिला लेखा निरीक्षक	–	1 पद

उपधारा:4– प्रत्येक जिला कार्यकारणी के अन्तर्गत मण्डल/खण्ड में अध्यक्ष तथा सचिव होंगे जो खण्ड व मण्डल की समस्त समसओं के लिये अधिशासी अभियन्ता एवं उप महा प्रबन्धक तक वार्ता करने में सक्षम होंगे तथा अपने खण्ड/मण्डल के सत प्रतिशत सदस्य बनायेगें तथा सत प्रतिशत सदस्यता शुल्क जमा करवायेगें।

उपधारा:5– जिला कार्यकारणी प्रत्येक मण्डल में संस्था के सदस्यों के हित में कार्य करने में सक्षम होगी।

उपधारा:6– क्षेत्रीय कार्यकारणी महाप्रबन्धक स्तर पर वार्ता करने एवं संस्था के सदस्यों के हितार्थ कार्य करने में सक्षम होगी।

उपधारा7– प्रान्तीय कार्यकारणी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध–निदेशक/शासन/प्रशासन एवं मुख्य महा प्रबन्धक स्तर की अपने निगम की समस्याओं का समाधान करायेगी।

जल विद्युत निगम में प्रान्तीय कार्यकारणी समिति की रुप रेखा

उपधारा:1– जलविद्युत निगम में प्रान्तीय कार्यकारणी में निम्नलिखित पद होंगे।

1.	अध्यक्ष	–	1 पद
2.	उपाध्यक्ष	–	2 पद (1 पद चुनाव व 1 मनोनीत)
3.	महासिचव	–	1 पद
4.	संगठन सचिव	–	3 पद (1 पद चुनाव से 2 पद मनोनीत)
5.	प्रचार सचिव	–	1 पद
6.	वित्त सचिव	–	1 पद
7.	सह वित्त सचिव	–	1 पद (मनोनीत)
8.	लेखा निरीक्षक	–	1 पद

प्रान्तीय कार्यकारणी मुख्य महा प्रबन्धक / निदेशक / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदशेक / शासन / प्रशासन स्तर की समस्त समसयाओं का समाधान करायेगी।

उपधारा:2– दो परियोजना स्तर की कमेटिया होगी जो कि (1) यमुना परियोजना (2) गंगा परियोजना के नाम से होंगी तथा दोनों परियोजना कमेटियों में निम्नलिखित पद होंगे।

1.	अध्यक्ष	–	1 पद
2.	उपाध्यक्ष	–	1 पद
3.	सचिव	–	1 पद
4.	संगठन सचिव	–	1 पद
5.	प्रचार सचिव	–	1 पद
6.	वित्त सचिव	–	1 पद
7.	लेखानिरीक्षक	–	1 पद

यह परियोजना कमेटी सदस्यों की समस्याओं का महा प्रबन्धक के माध्यम से समाधान करायेगी।

उपधाराः–3

उपधाराः–परियोजना कमेटी के अलावा सभी मण्डलों में मण्डल कमेटी होगी जिसमें निम्नलिखित सात होगें।

1. अध्यक्ष – 1 पद
2. उपाध्यक्ष – 1 पद
3. सचिव – 1 पद
4. संगठन सचिव – 1 पद
5. प्रचार सचिव – 1 पद
6. वित्त सचिव – 1 पद
7. लेखा निरीक्षक – 1 पद

यह कमेटी समस्त सदस्यों की उप–महा प्रबन्धक स्तर तक की समस्त समस्याओं का समाधान करायेगी।

उपधाराः–4 मण्डल कमेठी के अलावा खण्ड स्तर पर खण्डीय अध्यक्ष एवं खण्डीय सचिव का एक–एक पद होगा जो कि अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से सदस्यों की समस्याओं का समाधान करायेगी तथा अपने खण्ड में शत प्रतिशत सदस्य बनायेगी और सभी सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा करायेगी।

शीर्षक – 4 केन्द्रीय कार्यकारणी समिति

धाराः–7 दोनों निगमों की प्रान्तीय कार्यकारणी समिति के ऊपर एक केन्द्रीय कार्यकारणी समिति का गठन होगा जो दोनों प्रान्तीय कार्यकारिणी के द्वारा लिखित रुप से समस्या आने पर समाधान के लिये कार्यवाही करेगी तथा दोनों

निगमों के जूनियर इन्जीनियर्स के हितों की रक्षा, वेतन मान निर्धारण एवं धारा 3 में वर्णित समस्त उद्देध्यों का सत–प्रतिशत पालन करेगी यह कार्यकारणी शासन/प्रशासन/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/मुख्य महा प्रबन्धक स्तर तक की समस्याओं का समाधान कराने के लिये अधिकृत होगी।

उपधारा:1– केन्द्रीय कार्यकारणी समिति के निम्न पदाधिकारी होंगे।

1.	केन्द्रीय अध्यक्ष	–	1 पद
2.	केन्द्रीय उपाध्यक्ष	–	1 पद
3.	केन्द्रीय महासचिव	–	1 पद
4.	केन्द्रीय उप महासचिव	–	1 पद
5.	केद्रीय संगठन सचिव	–	4 पद
6.	केन्द्रीय वित्त सचिव	–	1 पद
7.	प्रचार सचिव	–	1 पद
8.	लेखा निरीक्षक	–	1 पद

धारा:8– संस्था के अंग

संस्था के अंग निम्न प्रकार होंगे
(अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

(अ) साधारण सभा

उपधारा–1:– गठनः संस्था के समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

उपधारा–2: बैठकः सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

मनोनीत किया जायेगा तथा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के समस्त अधिकार एंव कर्तव्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

उपधारा:6:–केन्द्रीय कार्यकारणी समिति के कर्तव्य एंव अधिकार :– संस्था के हितो की रक्षा एंव विकास के लिए प्रयत्नशील रहना एंव प्रबन्धकीय व्यवस्था बनाना आदि तथा समिति की राज्य के किसी संगठन व संगठनो से मिलकर सदस्यो के हित के कार्य करने का अधिकार होगा तथा विशेष कार्य के लिये उप समिति के गठन का अधिकार होगा।

उपधारा :–7:– कार्यकाल:– समस्त कार्यकारीणी समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा जो कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अधिकतम 2 वर्ष हो सकता है।

शीर्षक–5 चुनाव नियम

धारा –9:– उपधारा :–1: केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव महाअधिवेशन के समय होगा तथा जिसमें कुल –11 पदाधिकारी होगें,

उपधारा :–2: चुनाव अधिकारी का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा तथा उसका कार्यकाल तब तक रहेगां जब तक आगामी वार्षिक सम्मेलन में वह स्वयं अथवा दूसरा व्यक्ति उपयुक्त के अनुसार चुनाव अधिकारी नही चुना जाता। चुनाव अधिकारी विचार विर्मश में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नही कर सकता है, चुनाव प्रकि्या सम्बन्धी विवाद में चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

उपधारा 3:– सदस्य कार्यकारिणी एंव प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के द्वारा संरक्षक सदस्यो का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा

उपधारा 4:– हरिद्वार जिले को गढ़वाल क्षेत्र में तथा ऊधमसिहं नगर को नैनीताल क्षेत्र में माना जायेगा।

उपधारा 5:– अध्यक्ष/महासचिव के पद के उम्मीदवार का कम से कम दो वर्ष तक केन्द्रीय संचालन समिति का सदस्यों होना आवश्यकता है।

उपधारा 6:–केन्द्रीय उपमहासचिव संगठन सचिव एवं लेखा निरीक्षक के लिये आवश्यक है कि वह कम से कम जिला/ जोन स्तर पर कार्यकारणी का सदस्य रहा हो,

उपधारा 7:– क्षेत्र/जनपद के अध्यक्ष एवं सचिव सद के प्रत्याशी के लिये अनिवार्य है कि वह कम से कम 2 वर्ष संगठन के किसी भी शाखा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो।

उपधारा 8:– किसी भी स्तर के उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि वह उ0प्र0रा0वि0 परिषद जू0 इ0 संगठन द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजना का तीनों चरणों का सदस्य हो।

उपधारा 9:– विभिन्न स्तर की समितियों में पदाधिकारियों की पात्रता निम्नानुसार होगी तथा समस्त सदस्य एवं प्रोन्नत सदस्य ही पदाधिकारी होंगे।

1. खण्ड स्तर के पदाधिकारी की पात्रता ऐसोसिएशन का निरंतर कम से कम एक वर्ष का सामान्य सदस्य हो।
2. **मण्डल स्तर के पदाधिकारियों की पात्रता**
   खण्ड स्तर की समिति के कम से कम दो वर्ष का अनुभव
3. **जनपद स्तर के पदाधिकारियों की पात्रता–**
   मण्डल / खण्ड स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव
4. **परियोजना / क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारियों की पात्रता**
   जनपद / मण्डल स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव

5. प्रान्तीय/ केन्द्रीय पदाधिकारियों की पात्रता

जनपद/क्षेत्रीय/ परियोजना स्तर पर कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव

उपधारा 10 –

1. कम से कम नामांकन दो प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित और दो प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित 'प्रतिनिधि' ही उम्मीदवार हो सकेगा। उम्मीदवार की सहमति अनिवार्य होगी।
2. नामांकन को अधिकृत प्रारूप में भर कर चुनाव अधिकारी को दिया जायेगा तथा चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित निशिचित समय के अन्दर ही नाम वापस किया जा सकेगा।
3. एक प्रतिनिधि केवल एक ही पद के लिये नामाकंन पत्र जमा कर सकेगा।
4. चुनाव अधिकारी को पद की शपथ अध्यक्ष दिलायेगें।

उपधारा 11:– प्रत्येक सदस्य की एक पद के लिये केवल एक मत देने का अधिकारी होगा।

उपधारा 12:– चुनाव मत पत्र द्वारा सम्पन्न होगा जिस पर क्रमांक एवं चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होगे।

उपधारा 13:– मतदान सम्बन्धी समस्त निर्णय चुनाव अधिकारी स्वंय लेने के सक्षम होगा।

उपधारा 14:– मतदान पूर्ण होने पर चुनाव अधिकारी मतगणना का परिणाम स्वयम् घोषित करेंगे तथा निर्वाचित पदाधिकारियों को 'शपथ ग्रहण' करायेंगे।

उपधारा 15:– यदि किसी पद के लिये दो या दो से अधिक प्रत्याशी समान मत प्राप्त करते हैं तो एक या अधिक का निर्वाचन चुनाव अधिकारी 'लाटरी' से करेंगे।

उपधारा 16:– पुरानी कार्यकारिणी तब तक वैद्य व कार्यकरने में सक्षम रहेगी जब तक नव निर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण नहीं कर लेते।

उपधारा 17:– निर्वाचन परिणाम (अध्यक्ष के अतिरिक्त) के प्रति यदि किसी प्रत्याशी को संवैधानिक प्रादिधानों के उल्लघंन /अतिक्रमण सम्बन्धी आपत्ति होगी तो ऐसी आपत्ति निर्वाचन अधिकारी को परिणाम घोषणा के एक सप्ताह के अन्दर दे देनी चाहिये, इस पर निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

अध्यक्ष के निर्वाचन में असंवैधानिक सम्बन्धी आपत्ति निर्वाचन परिणाम घोषणा के तत्काल बाद दे दी जायेगी जिसका निर्णय निर्वाचन अधिकारी तत्काल 'निर्वाचन प्रक्रिया ' पूर्ण करने से पहले शपथ ग्रहण से पूर्व कर देगे। उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

शीर्षक –6

प्रबन्ध कार्यकारणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

उपशीर्षक 1:–

उपधारा संरक्षक प्रत्येक स्तर पर संस्था के हितों की रक्षा करेगा।

उपर्शीषक 2:– अध्यक्ष

उपधारा:– नीति निर्धारण में एसोसिएशन का पथ प्रदर्शन करेगा तथा ऐसोसिएशन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा महाअधिवेशन एवं बैठकों

में सभापतित्व करेगा।

उपधारा 2:– महासचिव की सलाह पर आदेश पारित करेगा।

उपधारा 3:– महासचिव के प्रार्थना करने पर बैठकों के एजेण्डा तिथि एवं समय का निर्धारण करेगा।

उपधारा 4:– उपाध्यक्ष को सुविधानुसार अपने अधिकारी दे सकता है।

उपधारा 5:– अध्यक्ष को केवल महा अधिवेशन में ही हटाया जा सकता है या वह स्वयं त्याग–पत्र दें।

उपीशीर्षक 3:– वरिष्ठ उपाध्यक्ष / उपाध्यक्ष:–

उपधारा 1:– अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग एवं आदेशानुसार विभिन्न कर्यकलापों की देख रेख करेगा।

उपधाारा 2:– यदि स्वंय त्याग पत्र न दे तो महाअधिवेशन में बहुमत से हटाया जा सकता है।

उपशीर्षक 4:– महासचिव

उपधारा 1:– ऐसोसिएशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा समिति तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत कार्य करेगा।

उपधारा 2:– ऐसोसिएशन का पत्र व्यवहार सामान्यतयः वहीं करेगा।

उपधरा 3:– ऐसोसिएशेन की बैठक की कार्यवाही का संचालन एवं कार्यवाही

का अभिलेख रखेगा।

उपधारा 4:– अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करके कार्यकारिणी की बैठक बुलायेगा, यदि दो बार प्रार्थना करने पर भी अध्यक्ष अनुमति न दे तो उसे बैठक बुलाने का अधिकार होगा

उपधारा 5:– उसके पास खर्च के लिये रु0 1000/– अग्रिम धनराशि होंगे तथा वह 500/– तक के बिल पास करके भुगतान कर सकेगा। रु0 500/– से ऊपर का बिल अध्यक्ष द्वारा पास किया जायेगा।

उप–धारा 6:– ऐसोसिएशन की तरफ से समझौंता पर हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी होगा।

उपधारा 7:– यदि महा सचिव त्याग पत्र न दे तो उसे महा अधिवेशन में बहुमत से हटाया जा सकता है।

उपशीर्षक 5:– उपमहासचिव

उपधारा 1:– बैठकों की कार्यवाही लिखेगा।

उपधारा 2:– महासचिव कार्यालय में उसकी ओर से पत्राचार करेगा

उपधारा: 3– संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये दौरा करेगा।

उपधारा :4– धन एकत्रित करना तथा महासचिव के निर्देशानुसार संगठनात्मक कार्य करना।

उपशीर्षक:6– संगठन सचिव

उपधाराः 1– सदस्यों से व्यापक सम्पर्क कर संगठन को सुदृढ़ करना।
उपधाराः 2– प्रदेश का दौरा करना व जिला शाखाओं के चुनाव संम्पन्न कराना।

उपधाराः 3– सदस्यों से कोष एकत्रित करना तथा संगठनात्मक रुचि उत्पन्न करने में सहायता करना।

उपशीर्षक – 7 वित्त सचिव

उपधारा :1– लेखा नियमों के अनुरुप एकत्रित धन को बैंक में जमा करना।

उपधाराः 2– लेखा पुस्तिका लिखना तथा आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण अंकित करना।

उपधाराः 3– सदस्यों को क्रम संख्या एवं प्रमाण पत्र देना।

उपधाराः 4– शाखाओं को दी जाने वाली रसीद, बही व अन्य स्टेशनरी का लेखा रखना।

उपधाराः 5– बजट के अनुसार महासचिव एवं अध्यक्ष द्वारा पास बाउचरों का भुगतान करना तथा रु0 1000/– से ऊपर का भुगतान चैक से करना।

उपधाराः 6– विवादित समस्याओं में अध्यक्ष के निर्देशानसुार कार्य करना।

उपशीर्षकः8– प्रचार सचिव

उपधाराः1 – संगठन के द्वारा सदस्यों को भेजे जाने वाली प्रत्रिकाओं व अभिलेखों के सम्पादन एवं वितरण के लिये उत्तरदायी होगा।

उपधाराः 2– समय–समय पर संगठन की गतिविधियों को सदस्यों तक पहुचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

उपशीर्षक 1–9 लेखा निरीक्षक

उपधाराः1 – वर्ष में कम से कम एक बार लेख निरीक्षण करना।

उपधाराः2 – संगठन हित में अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये जाने पर अनेकबार भी लेखा निरीक्षण करना तथा लेखानिरीक्षण रिपोर्ट महसचिव को प्रेषित करना।

उपधारा3ः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की कार्यवाही की अध्यक्षता करना।

शीर्षक 7
संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया

धारा–10

उपधाराः 1– संस्था के नियमों में संशोधन का अधिकार आम सभा द्वारा प्रस्तावों के बहुमत से पारित होने के आधार पर किया जायेगा, प्रस्ताव कार्यकारणी समिति द्वारा लाया जायेगा।

उपधाराः2 : पावर कारपोरेशन में प्रान्तीय अध्यक्ष/सचिव, क्षेत्रीय अध्यक्ष/सचिव व जिला अध्यक्ष/सचिव केन्द्रीय संचालन समिति के सदस्य होंगे।

उपधाराः3-- जल विद्युत निगम में प्रान्तीय अध्यक्ष/सचिव, परियोजना अध्यक्ष/सचिव एवं मण्डल अध्यक्ष/सचिव केन्द्रीय संचालन समिति के सदस्य होंगे।

शीर्षक : 8 संस्था का कोष

उपधारा:1– एसोसिएशन का कोष ऐसोसिएशन के मुख्यालय पर राष्ट्रीकृत किसी भी बैंक में जमा कराया जायेगा तथा लेखा संयुक्त रुप से कोषाध्यक्ष (वित्त सचिव) व अध्यक्ष/ महासचिव के नाम होगा। अध्यक्ष/महा सचिव में से एक व वित्त सचिव के हस्ताक्षर से कोष का संचालन होगा।

उपधारा:2 – केन्द्रीय समिति/प्रान्तीय समिति के बिना अनुमति के ऐसोसिएशन के नाम से धन एकत्र करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा।

उपधारा:3– अध्यक्ष एवं महासचिव किसी भी सदस्य के नाम किसी विशिष्ठ कार्य के लिये रु0 2000/– तक धन स्वीकृत कर सकते हैं जिसका लेखा विवरण कार्य समाप्त होने पर एक माह के अन्दर महासचिव के पास स्वीकृति के लिये आना अनिवार्य है अन्यथा उस सदस्य से पूरा धन वापस मांगा जायेगा।

उपधारा: 4– छपी हुई रसीद (स्थाई रसीद) से ही धन एकत्रित किया जायेगा तथा धन का विवरण रसीद की एक प्रति के साथ महासचिव को भेजा जायेगा।

उपधारा:5 – शाखायें स्थानीय खर्चे के लिये चन्दा एकत्र करेगी।

उपधारा:6 – ऐसोसिएशन का सुरक्षित कोष होगा जिसमें आजीवन सदस्यता का सम्पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क का 10 प्रतिशत शुल्क सुरक्षित कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जिसको खर्च करने हेतु कार्यकारणी की अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

उपधारा 7:– ऐसोसिएशन के हित में यात्रा के लिये रेल द्वितीय श्रेणी / शेयर टैक्सी/ बस का वास्तविक किराया देय होगा, विशेष परिस्थितियों

में अध्यक्ष/महासचिव वास्तविक यात्रा व्यय की अनुमति दे सकते है।

उपधारा 8:– व्यय में निम्नलिखित मद होगें

(क) कार्यालय व्यय

(ख) प्रकाशन व्यय

(ग) एसोसियेशन या ऐसोसिएशन सदस्य के प्रतिवाद रक्षा या अभियोजन पर व्यय वैद्य हैं।

(घ) यात्रा व्यय।

(ड.) ऐसोसिएशन की बैठक/ गोष्ठी आयोजन पर व्यय या किसी समउद्देशीय संस्था की सदस्यता के लिये योगदान।

(ण) अन्य किसी प्रसंगिक व्यय।

शीर्षक –9 संस्था के अभिलेख

धारा 11 :– संस्था के निम्न प्रकार के अभिलेख होंगे।

(क) सदस्यता रजिस्ट्रर

(ख) कार्यवाही रजिस्ट्रर

(ग) स्टाक रजिस्ट्रर

(घ) कैश बुक लेजर आदि समस्त अभिलेख अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष (वित्त सचिव) के अधीन हर समय उपलब्ध होगा।

शीर्षक –10 संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही

धारा 12:– संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रशेन एक्ट 1860 की अधिनियम 'क' की धारा 13 ब 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

धारा 13:– अन्य ऐसे सभी विवरण/ प्रविधान जो संस्था के उदेश्यों की गणपूर्ति एवं संस्था के संचालन में सहयोगी /उपयोगी एवं आवश्यक हो

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 2 तथा नियम 4 के अनुसार तैयार / लागू किये जायेगे।

शीर्षक 11 प्रान्तीय / क्षेत्रीय / जनपद

धारा 14:– परियोजना स्तर कार्यकारिणी / परियोजना की मण्डल कार्यकारिणी / खण्डीय स्तर कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य उपरोक्त शीर्षक 5 की धारा 9 के उप शीषक में वर्णित समकक्ष पदों के अधिकार / कर्तव्य की भांति होंगे।

शीर्षक 12:– **विविध**

धारा :– **15 (अ)** जनपद शाखा द्वारा संकलित वार्षिक शुल्क 250 / – में सं0 50 / – रूपये अपने खर्च को रखेगी तथा 50 / – प्रति सदस्य केन्द्र को भेजेगी, तथा 50 प्रति सदस्य क्षेत्र को तथा 100 / – प्रति सदस्य प्रान्तीय कार्यकारिणी को भेजेगी।

(ब) परियोजना में मण्डल समिति 250 / – प्रति सदस्य वार्षिक शुल्क वसूल करेगी तथा 50 / – अपने पास रख कर 50 / – परियोजना कमेटी तथा 100 / – प्रान्तीय कमेटी व 50 / – प्रति सदस्य केन्द्र को भेजेगी।

धारा 16:– प्रान्तीय / क्षेत्रीय / परियोजना / जनपद / मण्डल कमेटी अपना आम व्यय लेखा नियमों के अनुसार रखेगी और प्रत्येक वर्ष अपना प्रमाणित लेखा केन्द्र को भेजेगी।

धारा 17:– जिला शाखाये / परियोजना मण्डल शाखायें प्रति माह सभाओं का आयोजन करेगी तथा कार्यवाही का विधिवत् रिकार्ड रखेगी तथा कार्यवाही पर सचिव व सभापति के हस्ताक्षर करायेगी।

धारा 18:– जनपद सचिव किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी सूचना

प्रान्तीय महासचिव एवं केन्द्रीय महा सचिव को तुरन्त प्रेषित करेगा

धारा 19:– वार्षिक चुनाव के पश्चात यदि कोई पद रिक्त हो जाय या किसी पदाधिकारी के त्याग पत्र देने पर यदि कोई पद रिक्त हो जाये तो वह स्थान अध्यक्ष के द्वारा कार्य संचालन के लिये मनोनीत व्यक्ति से पूर्ति किया किया जायेगा एवं आगामी कार्यकारिणी बैठक में अनुमोदन ले लिया जायेगा।

धारा 20:– पुर्नसदस्यता किसी सदस्य की त्याग पत्र से समाप्त होने के कारण शुल्क जमा न होने के कारण व अन्य किसी कारण के स्थगित सदस्यता को पुनः प्रदान करने के प्रार्थना पत्र पर केवल कार्यकारिणी ही निर्णय लेने मे सक्षम होगी

शीर्षक 12

पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही

धारा 21:–

(अ) ऐसोसिएशन के किसी सदस्य कार्यकर्ता अथवा किसी भी स्तर के पदाधिकारी द्वारा ऐसोसिएशन के हितों के विरूद्ध कार्य करने अथवा संविधान के प्रविधानों का उल्लघंन कर कार्य करने पर उसके विरूद्ध निम्न रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) ऐशोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव की संस्तुति पर स्वंय संतुष्ट होकर या स्वंय संतुष्ट होने पर महासचिव की सहमति लेकर किसी भी स्तर के "पदाधिकारी" कार्यकारिणी सदस्यों अथवा साधारण सदस्यों के विरूद्ध चेतावनी देने, चार्जशीट देने अथवा निलम्बित करने तक की कार्यवाही कर सकेगें। ऐसी कार्यवाही आगामी एक माह में केन्द्रीय संचालन समिति द्वारा बहुमत से कराना अनिवार्य होगा।

(स) ऐसोसिएशन की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, दो तिहाई बहुमत

से महासचिव किसी भी स्तर के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य, साधारण सदस्य के विरूद्ध चेतावनी देने, चार्जशीट देने, निलम्बित करने, पदमुक्त करने अथवा निस्कासन तक करने में सक्षम होगी।

(द) दोषी इंगित सदस्य/ पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायेगा।

शीर्षक 13 :– सामान्य

धारा 22 :– किसी विशिष्ट विषय पर निर्णय हेतु कम से कम 5 जनपद समितियां अथवा 50 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव कार्य समिति का आपात सम्मेलन बुला सकेगा।

धारा 23:– संविधान के नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन केवल सामान्य सभा में बहुमत के आधार पर किया जा सकेगा।

धारा 24:– सम्मेलन का व्यय और केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया मार्ग व्यय ऐसोसिएशन के केन्द्रीय/प्रान्तीय कोष से होगा।

धारा 25:– प्रवेश पत्र रसीद बुके व अन्य लेखन सामग्री सभी शाखाओं को केन्द्र से प्राप्त होगी।

धारा 26:– यात्रा भत्ता का व्यय 6 माह के अंदर प्रस्तुत हो जाने चाहिये अन्यथा भुगतान की जिम्मेदारी ऐसोसिएशन पर नही होगी।

धारा 27:– ऐसोसिएशन की सम्पत्ति यथावत् ऐसोसिएशन की होगी। अध्यक्ष व महासचिव उसके संरक्षक होगें।

धारा 28:– जब तक वर्ग कर्मचारियों की संख्या का 1/10 भाग ऐसोसिएशन का सदस्य रहेगा तब तक ऐसोसिएशन का विघटन नही किया जा सकता

धारा 29 :– ऐसोसिएशन द्वारा अंगीकृत समस्त प्रस्ताव एवं ज्ञापन प्रत्येक सदस्य के लिये मान्य होगे और उसके अनुसार कार्य करना प्रत्येक सदस्य का कर्तत्व होगा।

धारा 30:– नियमों में संशोधन , वार्षिक कार्यवाही और निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची प्रशासन को प्रस्तुत की जायेगी।

धारा 31:– समिति के पदाधिकारी आवश्यकनुसार दौरा करेंगे, सदस्य बनायेगे चन्दा एकत्र करेंगे और सदस्यों की समस्या अंकित करेंगे तथा प्रत्येक कार्य एवं यात्रा की रिपोर्ट केन्द्र को प्रस्तुत होगी।

धारा 32 :– विशेष परिस्थिति में ऐसोसिएशन किसी सदस्य अथवा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

धारा 33:– व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि हेतु ऐसोसिएशन पत्रिका आदि प्रकाशित कर सकेगा।

धारा 34:– ऐसोसिएशन प्रशासनाधिकारियों को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन की स्थापना एवं कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु उपयोगी सुझाव दे सकेगा।

धारा 35 :– ऐसोसिएशन राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक गतिविधियों में कोई भाग नही लेगा।

"प्रतिनिधि प्रमाण पत्र"

प्रतिनिधि क्रंमाक ई0.....जिनकी सदस्यता संख्या / आजीवन सदस्यता संख्या.....है। वर्ष.....के लिये ऐसोसिएशन का प्रतिनिध घोषित किया जाता है।

महासचिव

वित्त सचिव

नामांकन पत्र सत्र.....

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ई0.....को जिनका प्रतिनिधि क्रमांक..... .....सदस्या संख्या.....कल्याण योजना संख्या तृतीय ....है का नाम वर्ष.....में.....के लिये प्रस्तावित एवं अनुमोदित करते है।

अनुमोदक	प्रस्तावक
1. हस्ताक्षर.....	1. हस्ताक्षर.....
2. नाम.....	2. नाम.....
3. प्रतिनिधि क्रमांक.....	3. प्रतिनिधि क्रमांक.....
4. कल्याण योजना तृतीय.....	4. कल्याण योजना तृतीय.....
5. जनपद / परियोजना.....	5. जनपद / परियोजना.....
1. हस्ताक्षर.....	1. हस्ताक्षर.....
2. नाम.....	2. नाम.....
3. प्रतिनिधि क्रमांक.....	3. प्रतिनिधि क्रमांक.....
4. कल्याण योजना तृतीय.....	4. कल्याण योजना तृतीय.....
5. जनपद / परियोजना.....	5. जनपद / परियोजना.....

प्रत्याशी की घोषणा

मैं.....प्रतिनिधि क्रंमाक.....सदस्यता से .....
जनपद/परियोजना.....ऐशोयिएशन के वर्ष.....कि निर्वाचन में.....
... पद के प्रत्याशी होने की सहमति देता हूं मेरी कल्याण योजना की सदस्यता संख्या तृतीय चरण.....है। मेरा विभागीय वरिष्ठता क्रमांक .....है।

हस्ताक्षर

विभागीय पता

जाँच परिणाम

यह नामांकन पत्र जांच के पश्चात सही पाया गया। यह नामांकन पत्र निम्न कारणों से सही न नही पाया गया अतः रद्द किया जाता है।.....

.....

.....

निर्वाचन अधिकारी

.....

मतपत्र

निर्वाचन सत्र..... मत पत्र संख्या.....

.....

निर्वाचन अधिकारी.....

पद का नाम.....

प्रत्याशी का नाम.....

1. .....
2. .....
3. .....

(शीषर्क 2 धारा –4)

प्रवेश पत्र

उत्तरांचल पावर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन

मैं .....

..... आत्मज.....

.....जन्मतिथि..... नियुक्ति दिनांक..... पद.....विभागीय वरिष्ठता क्रमांक. .....स्वंय को उत्तरांचल पाकर जूनियर इन्जीनियर्स ऐसोसिएशन का सदस्य घोषित करता हूं।

ऐसोसिएशन द्वारा स्वीकृत सभी नियम व प्रस्ताव एवं तदनुसार अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय मुझे मान्य होगें।

मैं रूपया.....प्रवेश शुल्क तथा रू0..... .. वार्षिक अथवा रू0..... आजीवन शुल्क..... जमा कर रहा हूं।

पूरा पताः स्थायी.....

.....

.....

अस्थायी.....

.....

.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पद.....

विभागीय

हस्ताक्षर प्रस्तावक.....

वरिष्ठता क्रंमाक.....

नाम व पद.....

सदस्य पंजिका में क्रम संख्या.....

(राज्य विद्युत परिषद जूनियर इन्जीनियर्स संगठन द्वारा प्रकाशित संगठन क
संविधान जनवरी 1996 का आधार मान कर प्रकाशित)

दिनांक 29 सितम्बर 2002

जी0एन0 कोठियाल
केन्द्रीय अध्यक्ष
उत्तरांलच पावर जूनियर इन्जीनियर्स
ऐसोसिएशन
देहरादून।